


जन सुनवाई विवरण

मैसर्स उग्रसेन सिंगला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 04/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,20,905 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 55.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 55 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 22.02.2023 का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आँकलन अधिसूचना, क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 एवं Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A,11 (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत मैसर्स उग्रसेन सिंगला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 04/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,20,905 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 55.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 55 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबध में श्री रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर, (जिला कलक्टर, भरतपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2023 को अपरान्ह 01:00 बजे, ग्राम, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा, तहसील-पहाडी, जिला भरतपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट- 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 19.01.2023 को सांध्य ज्योति दर्पण तथा दिनांक 20.01.2023 को राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भरतपुर द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स उग्रसेन सिंगला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 04/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,20,905 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 55.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 55 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आँकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।



श्री विवेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, साथ ही परियोजना से पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जन मानस की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते हैं। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की अनुमति से इकाई की तकनीकी परामर्शदाता श्रीगती कायनात अजीम द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताया गया स्पष्ट किया की पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खदान इंटरलिक्ड विद पर्यावरण प्रभाव परियोजना द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सर्वप्रथम श्री फजरू, निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि यदि उक्त खनन प्रक्रिया में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलता है तो उन्हें परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

तत्पश्चात् श्री अलीजान निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाडी, जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिये एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करें एवं उन्होंने बताया कि गाँव के निकट मन्दिर में वर्षाकाल के दौरान पहाड से आया हुआ पानी एकत्रित होता है वहाँ पर जल एकत्रण के लिये स्थायी व्यवस्था करवाई जाये एवं उस पानी को ग्रामीणों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जावे।

तदोपरांत श्री मंगलदेव निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिये एवं खदानों में काम करने वाले व्यक्ति व बीमार व्यक्तियों को निकटतम अस्पताल पहुँचाने के लिये एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाये।

श्री साजिद खान निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर द्वारा जानना चाहा कि उक्त खनन पट्टा से स्थानीय लोगों को क्या फायदा होगा तथा खनन कार्य हेतु काम में लिये जाने वालों रास्तों पर धूल आदि के उडने को रोकने हेतु तथा खनन श्रमिकों हेतु किस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करवायी जावेंगी।

इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय परामर्शदाता श्रीमती कायनात अजीम द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जावेगा। आम रास्तों पर धूल को उड़ने से रोकने के लिये पानी के छिडकाव की उचित व्यवस्था टैंकरों द्वारा करवाई जावेगी। खदान पट्टाधारी द्वारा प्रति वर्ष पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण आदि किया जावेगा। तत्पश्चात् श्रीमान् खान ने कहा कि उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा आपत्ति नहीं है।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर द्वारा जानकारी मांगी गयी कि प्रस्तावित खदान परियोजना में स्टोन क्रशिंग गतिविधि में प्रदूषण रोकथाम हेतु क्या व्यवस्थाएँ की जाएँगी। इसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि क्रशिंग गतिविधि नियमानुसार ही की जायेगी तथा सभी आवश्यक प्रदूषण रोकथाम उपायों जैसे धूल दमन हेतु, पानी का छिडकाव, मशीनों को ढकने एवं फब्बारे लगाने के साथ पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण अथवा पत्येक परियोजना प्रस्तावक द्वारा अलग-अलग कराया जाना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।


क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति से इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत कराये।

तदुपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर ने समीक्षात्मक उद्बोधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखे गये विचार रिकॉर्ड किये गये हैं। आपके विचार व सुझाव/आपत्तियाँ सभी सम्मिलित कर संबंधितों को भेजी जायेंगी, जिसके समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

अंत में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।



(विवेक गोयल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., भरतपुर



(रतन कुमार)
अति. जिला कलेक्टर
भरतपुर, (राज.)

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मेरस उपप्रखण शिंगला, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 04/2018, क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,20,905 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लरिफर क्षेत्रफल 5500 हेक्टेयर तथा क्लरिफर में कुल 55 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत जन सुनवाई दिनांक 22.02.2023 को 01:00 PM से 01:45 PM तक, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, गणेश पहाडी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

क्र.सं.	नाम	पता	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1	रतन कुमार	ADM भरतपुर		रतन
2	Vivek Goud	PO, RPO, Bharatpur	9530345500	
3	R.N. Margal	M.E. Bharatpur	9828897860	R
4	Sarjeet Singh	Ad. A.O.	9413014189	h
5	Narendra Singh	JE, RO, RPO, Bharatpur	9315665199	N
6	Kaynat Azam	CRIPL Udaipur	8003182518	K
7	Dal Chand Dangi	CRIPL Udaipur	8003182518	D
8	Louseem Ramesh	CRIPL Udaipur	9166059096	L
9	Indrajeet Singh	Bharatpur	9828380853	I
10	Pushendu Jain	H.P. Thakur	9518101010	P
11	श्रीनिवेश कुमार	शुभ गंगोरा	9929639584	S
12	Gaurav Goyal	Rahani	9953272844	G
13	दरबारा राम शर्मा	गंगोरा	9057012532	D
14	वसुधा	छपरा	987770944	V
15	उमेश कुमार	मिर्जापुर	9828298903	U
16	शाहिद खान	चिनावडी	9578624000	S
17	रजनी	चिनावडी	9672909274	R
18	मंगलजीत सिंह	गंगोरा		M
19	अतिथीजीत			A
20	Sohu	छपरा	9350206548	S

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मेस्ना उग्रसेन सिंगला, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 04/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,20,905 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 55.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 55 खनन पट्टा, सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति काका जन सुनवाई दिनांक 22.02.2023 को 01:00 PM से 01:45 PM तक, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, गणेश तहसील पहाडी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

21	नारियर	9024584441	छपरा	नारियर
22	साईड	7850878055	छपरा	साईड
23	मिटर	9660125780	छपरा	मिटर
24	केस	9350186167	छपरा	केस
25	सुमार	9660705641	छपरा	सुमार
26	इंडिगल	968024388	छपरा	इंडिगल
27	साईड	9636802804	छपरा	साईड
28	वनीज	7878205821	छपरा	वनीज
29	साईड	9571713689	छपरा	साईड
30	ममलद	7540100609	छपरा	ममलद
31	मसुदा पद	9350951558	मिर्जापुर	मसुदा पद
32	गैरेश मंगला	9582729275	मिर्जापुर	गैरेश मंगला
33	उसुध	9818428533	मिर्जापुर	उसुध
34	RANDEET SANGH	9240193454	RANSARM	Rangeth
35	परीद	गंगोरा	9982413535	परीद
36	मंगेश कुमार	छपरा	9358257812	परीद
37	अमित शेराना	F.P. Jhokar	9720867148	A
38	Ashok Kumar	F.P. Jhokar	999238307	Ashok
39	Kamal Pathak	9758007330	छपरा	Kamal
40	Achal Sharma	8439952054	छपरा	Achal
41	रजनी	गंगोरा	-	रजनी
42	पारा	गंगोरा	-	पारा